

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(बी)-2475 / 2013 / अलेसे-III / 451

दिनांक :- 6/04/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम सं. 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम सं. 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1(1) वित्त (नियम) / 2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए तथा कॉलम सं. 07 में अंकित कर्तव्य अवधि सहित कॉलम संख्या 8 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की कॉलम सं. 08 में अंकित विभाग/कार्यालय से करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पद नाम (क. लेखाकार)	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि			कर्तव्य अवधि	वेतन आहरण की अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10859	सुश्री बबीता	आदेशों की कुल प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)	दिनांक 07.01.2021	दिनांक 07.01.2021 से 10.02.2021	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, खण्डेला (सीकर)
			दिनांक 07.01.2021 से 10.02.2021	दिनांक 08.01.2021 से 08.02.2021	दिनांक 09.02.2021 से 10.02.2021			

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(बी)-2475 / 2013 / अलेसे-III / 451

दिनांक :- 6/04/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, खण्डेला (सीकर) को प्रेषित कर लेख हैं कि संबंधित कार्मिक के गत भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन भुगतान करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करावें।
- निजी सचिव निदेशक महोदय।
- उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- सुश्री बबीता, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, खण्डेला (सीकर)।
- पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।

(लेखराम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक-III)